न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 151/2017 (उदयपुर डिकी)

वरदा पिता लाला जी मीणा, निवासी उमरड़ा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
3. नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिकी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 17.06.2017 प्र.सं. 105/15

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री के.एल. चोर्डिया अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक
3. श्री नरपतसिंह चुण्डावत अभिभाषक न.वि.प्र.

———:::———

निर्णय दिनांक

27–05–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 48, 88, 188 व 63 (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति होकर ग्राम उमरडा में निवास करता है। मौजा

उमरडा की आराजी नंबर 2149 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि वादी के नाम दिनांक 25–08–1972 को विनियमन हुई, जिसका नमान्तरकरण खुलकर वादी का नाम जमाबन्दी संवत् 2031 से 2034 में दर्ज हुआ, जिसके हाल आराजी नंबर 4645 रकबा 6.1000 हैक्टर है। वादी का आधिपत्य आराजी नंबर 2188 मीन व 2185 मीन पर था, लेकिन कब्जा लिखे जाने में सेवन से आराजी नंबर 2149 लिख दिया गया, जिसकी वजह से रेगुलराईज आदेश भी आराजो नंबर 2149 का हो गया, जबकि साबिक आराजी नंबर 2188 मीन व 2185 मीन का अंकन होना चाहिए था। साबिक आराजी नंबर 2188 मीन व 2185 मीन, जिसके हाल आराजी नंबर 4789 व 5947 किता 2 रकबा 1.3700 भूमि पर वादी का अधिपत्य उसके पिता के समय से लगभग 60 वर्षो से भी अधिक समय चला आ रहा है। अतः आराजी नंबर 2149 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लाक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 17–06–2017 से वादी का वाद सारहीन होना मानकर खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 17–06–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 04–09–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 22–08–2017 को वकील साहब से सम्पर्क करने पर हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन पर पत्रावली का मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर वादी की अनुपस्थिति में निर्णय किया गया है। हालांकि उक्त दिनांक को वादी के पुत्र मणीराम के अधिनस्थ

न्यायालय में उपस्थिति के हस्ताक्षर हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में अपीलान्ट का कथन है कि उसके खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये गये हैं। अपील प्रस्तुत करने में अल्प विलम्ब हुआ है। अतएवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 नगर विकास प्रन्यास की ओर से अधिवक्ता श्री नरपतसिंह चुण्डावत उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि उक्त प्रकरण में उक्त दिनांक को कोई निर्णय नहीं हुआ तथा अपीलान्ट के लडके के खाली कागज पर हस्ताक्षर करवा लिये गये व उदयपुर आने के लिए उसे कहा गया, जिस पर वह उदयपुर आया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय में पीठासीन अधिकारी नहीं थे, न उसे कोई जवाब दिया गया। इस प्रकार अपीलान्ट को प्रकरण में सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा उसे बिना सुने निर्णय पारित किया गया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जाव।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने रेकार्ड अनुसार विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की जावे।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजां का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि उक्त निर्णय अपीलान्ट को बिना सुने उसके पुत्र की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवा कर अपीलान्ट/वादी का वाद खारिज कर दिया है, जो प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार को जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 17–06–2017 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट/वादी सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय मं दिनांक 26–07–2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 27–07–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बनाम दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा
बमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी
नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य
बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी.....
.....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....07..... 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान
व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03... 2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।